

हितकारी निधि
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी-निधि से शिक्षा विभागीय समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक) के बच्चों के लिये माध्यमिक बोर्ड अजमेर की सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय में 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना का प्रार्थना-पत्र

- 1 कर्मचारी का नाम
- 2 कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान
- 3 कर्मचारी का स्थाई पता
- 4 टेलिफोन नम्बर/ मोबाईल नम्बर
- 5 हितकारी निधि अंशदान 2018-19 से ई0सी0एस0 एवं शिड्यूल की प्रति संलग्न करें।
- 6 कर्मचारी की Employe ID संख्या
- 7 छात्र/छात्रा का नाम एवं सम्बन्ध
- 8 छात्र/छात्रा द्वारा जिस राजकीय शाला में अध्ययन करते हुए सैकण्डरी/ वरिष्ठ उपाध्याय में 70% या अधिक अंक प्राप्त किये हैं, का नाम
- 9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति एवं प्राप्तांक प्रतिशत।
- 10 कार्मिक का बैंक खाता विवरण
पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (प्रमाणित) या
निरस्त चैक

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर मय पद
एवं कार्यरत स्थान

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/सी0बी0ई0ओ0) से अग्रेसित करवाया जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पद एवं पदस्थापन स्थान जो मेरे अधिन कार्यरत हैं, इनके पुत्र/पुत्री शिक्षण सत्र 2019 में राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए सैकण्डरी (secondary) की परीक्षा उत्तीर्ण कर 70% या 70% से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं अतः इनका प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को अनुशंषा सहित अग्रेसित किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/सी0बी0ई0ओ0
(मुख्यालय)
(मोहर)

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान(मोहर)